(6)

अपील क्रमांक 230/बो.प्र./नि.स./2025/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक /06/2025

अपील प्रकरण क्रमांक 230/बो.प्र./नि.सहा./2025

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
श्री चन्द्रहास साहू, म.नं. जी–40 सिंचाई कोलोनी शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) पिन को. 492001 मो. 9165716244 email id : chandrahas.mech@gmail.com	**विरूद्ध**	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 03.06.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री चन्द्रहास साहू द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रं. 220250411003027 दिनांक 16.05.2025 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवायी, आज दिनांक 03.06.2025 को कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) उपस्थित थे तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत **"वि./यां. सहायक अभियंता संवर्ग के पदोन्नति पद का निःशक्तजन के लिए आरक्षण रोस्टर रजिस्टर की सत्यापित प्रति"** उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन आवेदन क्रं. 220250411003027 दि. 11.04.2025 को जनसूचना अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को आवेदन प्रस्तुत किया था। किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा कोई जानकारी नहीं दिये जाने के कारण असंतुष्ट होकर ऑनलाईन आवेदन क्रं. 220250411003027 दिनांक 16.05.2025 को प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दिनांक 03.06.2025 को समय दोपहर 12.30 बजे, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित की गयी। इसमें उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को पंजीकृत डाक एवं ऑनलाईन माध्यम से सूचित किया गया।

.....2

3. सुनवाई दिनांक 03.06.2025 को अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण, प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को कोई जानकारी नहीं दिये जाने के कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है।

4. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने अवगत कराया कि आवेदक/अपीलार्थी का आवेदन पत्र ऑनलाईन आवेदन क्रं. 220250411003027 दिनांक 11.04.2025 को जनसूचना अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को आवेदन प्रस्तुत किया था, जो जनसूचना प्रकोष्ठ को आवक क्रं. 518 दिनांक 11.04.2025 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती स्थापना कक्ष की ओर दिनांक 23.04.2025 को प्रस्तुत की गई, जो स्थापना कक्ष से जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 07.05.2025 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वि./यां. सहायक अभियंता संवर्ग के पदोन्नति पद का निःशक्तजन के लिए आरक्षण से संबंधित रोस्टर रजिस्टर पृथक से नहीं बनाया जाता है। उक्त अंकित टीप अनुसार आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/122/छ.ग./2025/4105, दिनांक 09.05.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया।

5. अधिनियम में निहित प्रवाधानों के तहत प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी मार्गदर्शिका का अवलोकन किया गया। छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्र. 2719/जी–1312/2009/1–13 दिनांक 27.09.2022 के साथ संलग्न मार्गदर्शिका, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार अद्यतन विवरण के पैरा 10 (अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार) का उद्धरण निम्नानुसार है:–

> **"किसी नागरिक को किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध है। इस अधिकार में लोक प्राधिकरण के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्डों का निरीक्षण; दस्तावेजों या रिकार्डों के नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना; सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना शामिल है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना सृजित करने की अपेक्षा नहीं है जो लोक प्राधिकरण के रिकार्ड का हिस्सा नहीं है। लोक सूचना अधिकारी से ऐसी सूचना देना भी अपेक्षित नहीं है जिसमें कोई निष्कर्ष निकालना और/अथवा अनुमान लगाना; अथवा सूचना की व्याख्या करना; या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना; या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाना हो।"**

......3

6. प्रकरण में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी स्थापना शाखा से संबंधित है। स्थापना शाखा के द्वारा दिनांक 07.05.2025 को अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी **"वि./यां. सहायक अभियंता संवर्ग के पदोन्नति पद का निःशक्तजन के लिए आरक्षण रोस्टर रजिस्टर की सत्यापित प्रति"** के संबंध में यह टीप दी गयी कि वि./यां. सहायक अभियंता संवर्ग के पदोन्नति पद का निःशक्तजन के लिए आरक्षण से संबंधित रोस्टर रजिस्टर पृथक से नहीं बनाया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शिका के उक्त पैरा 10 अनुसार अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना सृजित करने की अपेक्षा नहीं है जो लोक प्राधिकरण के रिकार्ड का हिस्सा नहीं है। तत्संबंध में अपीलार्थी को जनसूचना अधिकारी ने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/122/छ.ग./2025/4105, दिनांक 09.05.2025 द्वारा पंजीकृत डाक से पत्र प्रेषित किया गया।

7. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है:–

अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी "वि./यां. सहायक अभियंता संवर्ग के पदोन्नति पद का निःशक्तजन के लिए आरक्षण रोस्टर रजिस्टर की सत्यापित प्रति" लोक प्राधिकारी के कार्यालय में संधारित नहीं होने के कारण, जनसूचना अधिकारी द्वारा उनके कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/122/छ.ग./2025/4105, दिनांक 09.05.2025 द्वारा की गयी कार्यवाही अधिनियम में निहित प्रावधान तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्र. 2719/जी–1312/2009/1–13 दिनांक 27.09.2022 के साथ संलग्न मार्गदर्शिका, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार अद्यतन विवरण के पैरा 10 के अनुसार, विधि सम्मत है।

प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण निराकृत किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर अटलनगर (छ.ग.)

......4

पृ.क्रं./230/बो.प्र./नि.स./2025/5056 नवा रायपुर, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, षिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेष को विभाग के बेबसाईट (**RTI Section**) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री श्री चन्द्रहास साहू, म.नं. जी–40, सिंचाई कोलोनी शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) पिन को. 492001 मो. 9165716244, email id : chandrahas.mech@gmail.com की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3/6/25

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर अटलनगर (छ.ग.)